न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 62/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00324

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| सुखाराम पुत्र घमण्ड़ाराम जाति देवासी, निवासी हेमावास, तहसील व जिला पाली | | 1. कानाराम पुत्र घमण्ड़ाराम जाति राईका (देवासी), निवासी सोसायटी भवन के पास, हेमावास, तहसील व जिला पाली (राज.)<br>2. ग्राम पंचायत हेमावास जरिये सरपंच जिला पाली |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी उपस्थित
अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–03.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 05.09.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 25.04.1987 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत हेमावास का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमी का पट्टा बनाने हेतु पेश किया गया जो किस दिनाँक को पेश किया, अंकित नहीं है न अप्रार्थी द्वारा दिनाँक का अंकन किया गया न ही सरपंच द्वारा मिसल संख्या करने के आदेश पर ही दिनाँक अंकित है ग्राम पंचायत हेमावास की मिसल में भी पुश्तैनी भ्भूमी का विक्रय विलेख बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का उल्लेख है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आराजी का मौका निरीक्षण हेतु किसी भी आदेशिका में तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया है जो मौका रिपोर्ट बनाई गई उस पर दिनाँक अंकित नहीं है साथ ही तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर है वो किसके है वार्ड पंचों के है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है जैर निगरानी का जो नक्शा बनाया गया है उस पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। आबादी भूमी के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपतियां मांगने का सूचना पत्र कहां चस्पा किया गया अंकित नहीं है तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर नहीं है दौ मौतबिरानों के हस्ताक्षर है उसका पता व वल्दियत अंकित नहीं है दो तीन स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए जिसमें भूमी व मकान को दोनों गवाहों ने पुश्तैनी बताया है तथा कानाराम स्वयं ने भी अपने बयानों में आराजी जिसका विक्रय विलेख चाहा है वह पुश्तैनी होना बताया है गवाहों ने मकान व बाड़ा पुश्तैनी होना माना है उनके सभी के बयानों से स्पष्ट नहीं है कि कानाराम ने मकान का विक्रय विलेख चाहा है, अथवा बाड़े का, इन सभी तथ्यों से विक्रय विलेख खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पुश्तैनी मकान होने की स्थिति में ही नियमितीकरण किया जा सकता है उसमें भी दो कीमत निर्धारित है 50 वर्षों से अधिक पुराना होने पर 100/– रूपये एवं कम होने पर 200/– रूपये में विक्रय विलेख जारी करने का प्रावधान है पंचायत हेमावास द्वारा जैर निगरानी पट्टा 15 पैसे प्रतिवर्गगज की दर से 154.35 रूपये में विक्रय विलेख जारी करने के आदेश पारित किए गए है जो न तो भूमी का नियमन किया गया है न ही भूमी विक्रय से सम्बन्धित नियम 266 के अनुसार आपसी बातचीत से किया गया है अतः अप्रार्थी संख्या 1 से बएवज पट्टा जारी करने की कोई भी वैधानिक आधार प्रकट नहीं किया जाने से पट्टा खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश......................2

जिला कलेक्टर, पाली

पुश्तैनी मकान/बाड़ा का पट्टा घमण्डाराम के दोनों पुत्रों अप्रार्थी कानाराम के साथ ही प्रार्थी सुखाराम के नाम का भी जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है इस बाबत दोनों की माता एवं घमण्डाराम की पत्नी अणदी का शपथ पत्र भी पत्रावली के संलग्न है इससे भी पुश्तैनी मकान होना जाहिर है उनकी माता ने शपथ पत्र में कानाराम के हक में पट्टा जारी किया उसे गलत बताया है। उक्त पट्टा कानाराम द्वारा उनके पुश्तैनी मकान/वाड़ा को हड़पने की निति से पट्टा जारी करवाया है जिसे निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि पूर्व में बहस हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी को मौके दिए जा चुके है, तथा इस बार अंतिम अवसर दिया गया है। इस स्थिति में अप्रार्थी के अधिवक्ता का और इंतजार करना उचित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

वकील प्रार्थी के कथनानुसार मिसल कायम की हुई है आदेशिकाओं बाबत सभी प्रस्ताव पृथक–पृथक लिए गए है। दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिए गए है , आपत्ति इश्तिहार भी जारी किया गया है। आराजी का नक्शा मिसल में बनाया गया है तथा पट्टा की राशि 154.55 रूपये जरिये रसीद संख्या 23/25.04.1987 के जमा कराए गए है। वकील प्रार्थी द्वारा मकान/भूखण्ड को पुश्तैनी बताया है लेकिन मकान/भूखण्ड के पुश्तैनी होने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख के पुश्तैनी होने का आधार मानकर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि प्रार्थी का विवाद भूखण्ड में टाइटल का है, तो अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में जाकर प्रकरण दर्ज करवा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। तथा ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 05.09.1986 संकल्प संख्या 2 दिनाक 05.09.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या 18/25.04.1987 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:48 IST
Reason: SelfAttested